(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI UTTAMBHAI H. PATEL) (a) Yes, Sir.

(b) Centre of Science for Villages, Wardha specialises in the following areas of rural technology:—

1. Rural mechanics (multi-purpose)
2. Biogas Technology
3. Composting Technology
4. Rural housing and sanitation
5. Rural Pottery
6. Banana fibre and paper technology
7. Agricultural implements

Centre of Science of Villages, Wardha has been designated as a resource centre of rural technology by Council for Advancement of People's Action and Rural Technology (CAPART). The following are the other institutions which are also called resource centres of rural technology:—

1. Society for 'Rural Industrialisation Bariatu, Ranchi (Bihar).
2. Social Work and Research Centre, Tilonia (Rajasthan)
3. Vigyan Ashram, Pabal, Pune (Maharashtra)
4. Nettur Technical Training Foundation, Ganavaram (Andhra Pradesh)
5. Seva Rural, Bharuch (Gujarat)
6. The Avinashilingam Education Trust Institution, Coimbatore (Tamil Nadu)
7. Vigyan Shiksha Kendra, Banda, (Uttar Pradesh).

(c) and (d) Centre of Science for Villages, Wardha has been running short duration courses for representatives of voluntary agencies in following technologies with CAPART assistance since 1986:—

1. Rural mechanics
2. Rural Housing
3. Biogas Technology
4. Rural Sanitation
5. Composting
6. Bee Keeping

2806.*[Transferred to 18th December, 1992]*

जोत की भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी कानून में संशोधन किया जाना

2807. **श्री महेन्द्र सिंह लाठर:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार जोत की भूमि की अधिकतम सीमा का क्षेत्र बढ़ाने तथा भूमि के और विभाजन को रोकने के लिए जोत की भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी कानून में संशोधन करने का विचार कर रही है;

(ख) क्या सरकार वर्तमान लघु परिवार प्रणाली तथा भूमि के बार-बार बंटवारे से भूमि के काफी अधिक क्षेत्र के बेकार हो जाने को ध्यान में रखते हुए सभी राज्यों में चकबन्दी तथा सहकारी-खेती लागू करने पर विचार कर रही है; और यदि हां, तो विगत दो वर्षों के दौरान इस संबंध में राज्यवार की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो क्या निकट भविष्य में कोई प्रभावी कदम उठाया जाएगा;

(ग) क्या यह सच है विभिन्न नगरों/महानगरों में जोत की भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी कानून के क्रियान्वयन में शिथिलता बरती जा रही है जिसकी वजह से अनेक व्यक्तियों के बहुत से औद्योगिक एकक कार्यरत हैं तथा अनेक फार्महाउस बनाए जा रहे है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार जोत की भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी कानून में संशोधन कर के जोत की भूमि की अधिकतम सीमा से संबंधित प्रतिबंध हटाने पर विचार कर रही है; और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी): (क) भारत सरकार के पास फिलहाल अधिकतम सीमा क्षेत्र में वृद्धि करने हेतु संशोधन के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) भूमि राज्य का विषय होने के कारण भूमि के प्रबन्ध और भूमि से संबंधित मामले राज्य सरकार के पास हैं। 15 राज्यों और 2 संघ शासित क्षेत्रों ने भूमि जोतों की चकबन्दी के लिए कानून बनाए हैं। चकबन्दी किए गए क्षेत्र की राज्यवार सूचना विवरण में दी गई है **(नीचे देखिए)** भारत सरकार ने राज्य सरकारों से सहकारी खेती करने की भी सिफारिश की है।

(ग) और (घ) शहरी भूमि अधिकतम सीमा

अधिनियम के अन्तर्गत कानून में अधिकतम सीमा से फालतू खाली भूमि को औद्योगिक प्रयोजनों के लिए रखने की व्यवस्था है। इसी प्रकार फार्म-हाउस के प्रयोजन के लिए इस्तेमाल की जा रही भूमि पर भी शहरी भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम की धारा 2(0) के अन्तर्गत स्पष्टीकरण— (ख) के अनुसार शहरी भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम के प्रावधानों से छूट दी गई है। शहरी भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम में संशोधन करने के अनेक सुझाव प्राप्त हुए हैं और वे संबंधित मंत्रालय के विचाराधीन हैं।

विवरण

भूमि जोतों की राज्यवार चकबन्दी

राज्य का नाम	क्षेत्र लाख एकड़ में
1. आन्ध्र प्रदेश	8.18
2. बिहार	34.67
3. दिल्ली (केन्द्र शासित क्षेत्र)	2.57
4. गुजरात	67.28
5. हरियाणा	104.45
6. हिमाचल प्रदेश	17.17
7. जम्मू व कश्मीर	1.16
8. कर्नाटक	26.76
9. मध्य प्रदेश	95.53
10. महाराष्ट्र	520.47
11. उड़ीसा	17.05
12. पंजाब	121.30
13. राजस्थान	42.30
14. उत्तर प्रदेश	434.77
योग:	**1493.74**

नोट: असम, पश्चिम बंगाल और दादरा नगर हवेली से सूचना प्राप्त नहीं हुई है। पश्चिम बंगाल में योजना स्वैच्छिक है।

पेयजल के लिए मास्टर योजना

2808. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पेय जल की समस्या का सामना करने के लिए कोई विस्तृत मास्टर योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना को लागू करने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य

2809. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 1991-92 के वर्ष के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या है;

(ग) राज्य-वार निर्धारित किए गए लक्ष्य क्या हैं; और

(घ) 1992-93 के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल): (क) से (ग) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 1991-92 में 22.5 लाख परिवारों को सहायता दिए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसके मुकाबले, 25.3 लाख परिवारों ने सहायता प्राप्त की जिसके फलस्वरूप उपलब्धि भौतिक लक्ष्य की 112.66% रही। इसी वर्ष के दौरान केन्द्र और राज्य की सब्सिडी को मिलाकर समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिये कुल आवंटन (वित्तीय लक्ष्य) 703.6 करोड़ रुपये का था। इसके मुकाबले कार्यक्रम के अंतर्गत 773.1 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे जिसके परिणामस्वरूप अखिल भारतीय स्तर पर उपलब्धि वित्तीय लक्ष्य की 109.87 प्रतिशत रही। इस तरह, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 1991-92 में